No 1001136 Dt 1-6-019

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 3779 / 12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 14/05/ 2019।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थराली।

विषयः– Diversion of 5.964 ha of forest land for Construction of Sarkot Devsari Motor Road in Favour of PWD within the jurisdiction of Badrinath Forest Division, District chamoli,uttrakhand (online Proposal No. FP/UK/Road/20189/2016)

संदर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 656/** FP/UK/Road/20189/2016 **दिनांक 06.09.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र स0 08 बी/यू0सी0पी0/06/41/2017/एफ0सी0/1782 दिनांक 26.11.2018 से सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। शर्तो में अधिरोपित नियमो के तहत धनराशि की डिमाण्ड मांग पत्र इस कार्यालय की पत्र सं0 2499/12–1 दिनांक 02.02.2019 से प्रेषित की गयी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 की दर में संशोधित होने के कारण पुनः डिमाण्ड मांग पत्र प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त संख्या–1 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.928 है0 ग्राम–घेस सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0 3,06,531.00 प्रति है0 से कुल धनराशि रू0 36,56,301.00 (रू0 छत्तीस लाख छप्पन हजार तीन सौ एक) मात्र जमा की जायेगी।

क्र0सं0.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल(है0)	दर प्रति है0	कुल धनराशि
1	2	3	4
1.	11.928	3,06,531.00	36,56,301.00

2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रांलय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में निर्धारित दरों के अनुसार रू0 8,45,000.00 की दर से कुल धनराशि रू0 50,39,580.00(रू0 पचास लाख उन्नचालीस हजार पांच सौ अस्सी) मात्र जमा की जायेगी।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनवद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– शर्त सं0–4 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त सं0 01 एवं शर्त सं0 02 में दी गई धनराशि का भुगतान Online Porta! पर online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए।

5– शर्त सं0 5 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारों तथा CentralVerge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip planation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।

अतः आप उक्त डिमाण्ड मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन जनरेट चालान से ही धनराशि AD-hoc कैम्पा में जमा करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नको सहित तीन–तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Admin/Cashier

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।